विशेष किशोर पुलिस इकाई(SJPU), इंदौर

Topic- **Multi Sectoral Convergence :**
Support to vulnerable and at risk children.
Department - Police

Presented By:-

APURVA KILLEDAR
(ACP WSB/HQ)

Nodal officer SJPU, **Indore**

परिचय/परिभाषा

- विशेष किशोर पुलिस इकाई, किसी जिले या शहर के लिए गठित पुलिस फोर्स की इकाई है जो अन्य किसी भी पुलिस इकाई की ही तरह है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए कार्य करती है| इन्हें बच्चों के साथ कार्य करने का प्राधिकार किशोर न्याय अधिनियम 2015, के सेक्शन 107, सेक्शन २(55) के तहत प्रदत्त किया गया है|

उद्देश्य

- देखरेख और संरक्षण (CNCP) के ज़रूरतमंद बच्चों के मामले में सामजिक कार्यकर्ता से समन्वय करना तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना |

- क़ानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (CCL) को पकड़े जाने पर SJPU या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) को उसे 24 घंटे के अन्दर किशोर न्याय बो के समक्ष प्रस्तुत करना और बच्चों के माता पिता को सूचित करना |

- बच्चों के विरुद्ध हिंसा, बच्चों की उपेक्षा, बच्चों के शोषण के साथ-साथ बच्चों के संरक्षण से संबंधित क़ानूनों पर जनसाधारण को जागरूक करना तथा बाल सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न स्तरीय संस्थाओं से समन्वय व सहयोग प्राप्त करना|

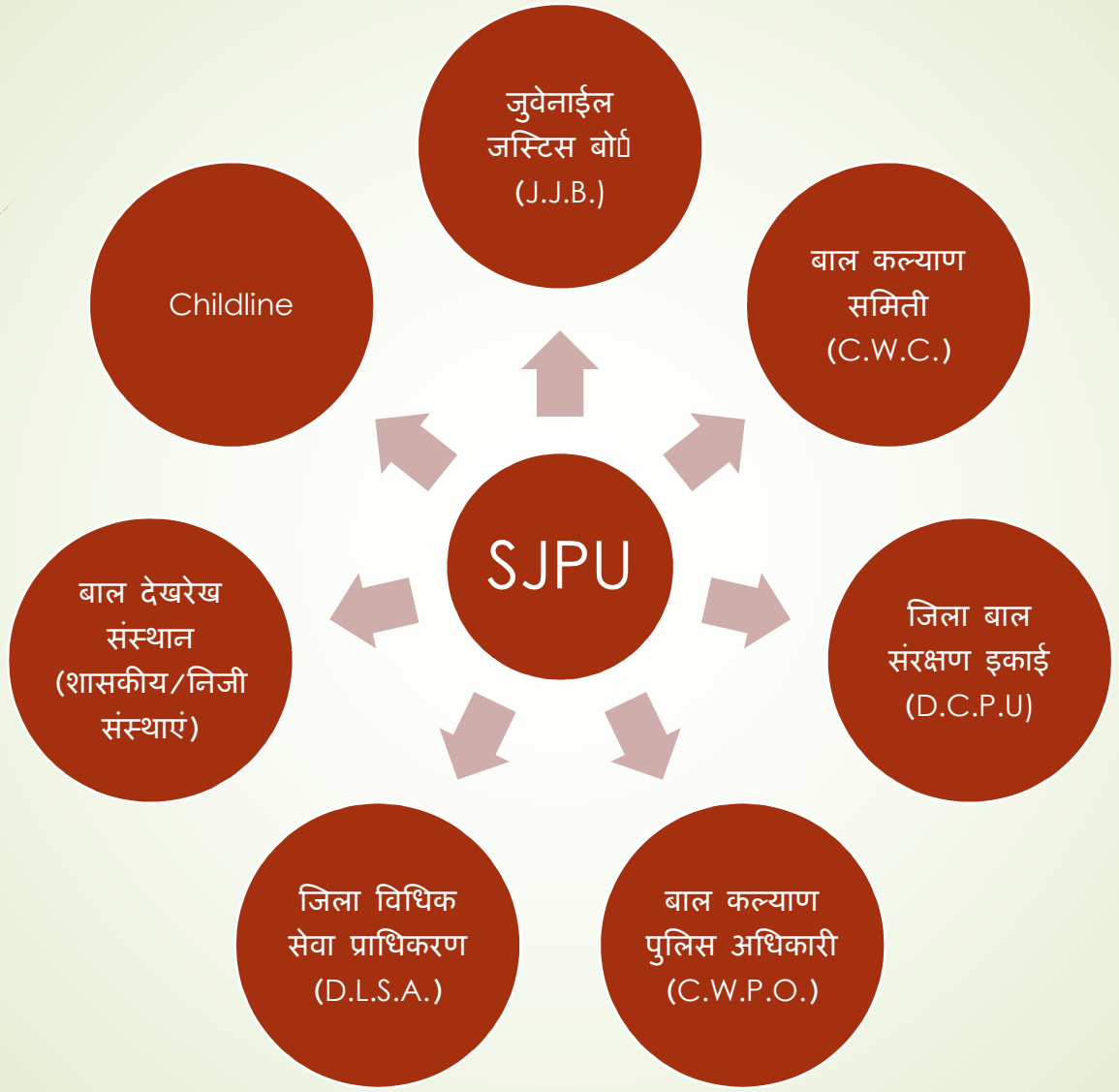
जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (J.J.B.)
बाल कल्याण समिती (C.W.C.)
जिला बाल संरक्षण इकाई (D.C.P.U)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (C.W.P.O.)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (D.L.S.A.)
बाल देखरेख संस्थान (शासकीय/निजी संस्थाएं)
Childline
SJPU

SJPU द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जब विधि का उल्लंघन करने वाले बालको को पुलिस पक□ती हैं तब संबंधित थाने की पुलिस उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौपेंगें, जो तत्काल बाल के माता पिता या संरक्षक को सूचित करेंगें कि बालक को बो□ में कब प्रस्तुत किया जायेगा एवं संबधित परिविक्षा अधिकारी को भी बालक के संबध में सूचना दी जाती हैं । (J.J.Act. 8(2))

- जिला स्तरीय SJPU उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण संबंधी मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बो□ और समिति के निकट समन्वय का कार्य करती हैं । । (J.J.Act. 86(12))

- SJPU जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय कर पुलिस थानों में बालको को विधिक सहायता उपलब्ध कराती हैं । (म.प्र. जे.जे.अधिनियम 2022 91(16)

- स□क पर रहने वाले चिन्हांकित बच्चो को रेस्क्यू कर सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करती हैं ।

- SJPU बालको/किशोरों से संबंधित विभिन्न कानूनों- जे.जे.एक्ट 2015, पोक्सो एक्ट 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2010, बाल व किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन हेतु जिले में संचालित संबधित संस्थाओं के साथ समन्वय कर विधि अनुसार कार्य करती हैं ।

- SJPU स्कुल/कॉलेजो तथा अन्य स्थानों पर बाल हिंसा, सायबर सुरक्षा व बाल अधिनियमों की जानकारी देते हैं ।

- बालको के संबंध में काम करने वाली संस्थाओ से जे जे बो के निर्देशानुसार त्रेमासिक समन्वय बैठक में भाग लेना।

- समय समय पर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार पोक्सो एक्ट, जे.जे.एक्ट के संबंध में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व SJPU के समस्त कर्मचारियो को प्रशिक्षण आयोजित करवाना ।

- जन जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न संबंधित विभागो व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आयोजित करवाती हैं ।

- बच्चो के लिये काम करने वाली संस्था चाईल लाईन, SJPU व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओ के साथ समन्वय कर नुक्क नाटक, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता हैं ।
- जो नाबालिग बच्चे मजबूरी, गरीबी व शारीरिक अक्षमता के कारण बाल श्रम मे लिप्त होते हैं उन्हे सरकार की योजना के बारे मे बताना व उन योजनाओं का लाभ दिलाकर बाल शोषण से मुक्ति प्रदान करना |

जिला इंदौर में बच्चों के संबंध में कार्य कर रहे विभिन्न संस्था तथा NGO-

- 01. सेवा भारती मातृछाया (शिशु गृह)
- 02. संजीवनी सेवा संगम संस्था (शिशु गृह)
- 03. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम (शिशु गृह)
- 04. श्रद्धानंद बाल आश्रम (बाल गृह)
- 05. जीवन ज्योति शिक्षण संस्था राऊ (बाल गृह)
- 06. सागर सामाजिक संस्था (आश्रय गृह)
- 07. लोक बिरादरी ट्रस्ट (आश्रय गृह)
- 08. बाल संप्रेक्षण गृह (बालक)
- 09. विशेष गृह बालक
- 10. विशेष गृह बालिका
- 11. श्री युग पुरूषधाम
- 12. आनंद सर्विस सोसायटी (बालगृह) लिम्बोदागरी इंदौर

विशेषज्ञो व दुभाषिया अनुवादको की सूची-

- 01. शालिनी लाकरा - उ□िया भाषा
- 02. श्री सिनोज जोसेफ – मलयालम भाषा
- 03. श्री जाँन □वि□ - तमिल भाषा
- 04. श्रीमति नीतू यादव – कन्न□ भाषा
- 05. श्रीमति तरूणा होलकर – मराठी भाषा
- 06. श्री अविनाश यादव – अंग्रेजी हिन्दी भाषा
- 07. श्री आशीष गोस्वामी – निमा□ी (बोली) भाषा
- 08. श्री भगवनादास साहू – बुंदेलखं□ी (बोली) भाषा
- 09. श्रीमति भारती श्रीवास्तव – राजस्थानी भाषा
- 10. श्री रमेशचंद्र गुजराती – गुजराती भाषा

उपलब्धियां

- जिले की विशेष किशोर पुलिस इकाई, श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन, CWC के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही कर वर्ष 2023 में **28 बच्चो को बाल श्रम की कार्यवाही से मुक्त** कराकर बाल कल्याण समिती के आदेशानुसार काउन्सलिंग की जाकर संस्था में एवं उनके माता पिता के सुपुर्द किया गया|

- **01 बच्चे को थाना खुड़ैल क्षेत्र से परिवार से रेस्क्यू** किया गया जिसके साथ मारपीट की गई थी । थाना खुड़ैल (देहात) इंदौर पर अप.क्र. 359/2023 धारा 342,323,506 भादवि एवं जे.जे. की धारा 75,79 तथा बाल श्रम अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की गयी ।

उपलब्धियां

संयुक्त अभियान द्वारा वर्ष 2022 में **कुल 63 बाल श्रमिको को जिनकी आयु 10 से 18 वर्ष के मध्य थी बालश्रम से मुक्त कराया गया** । इन बच्चो के द्वारा सा□ी की दुकान, बैग बनाने वाले कारखाने,पंचर की दुकान आदि जगहो पर रेस्क्यू कर मुक्त कराया गया तथा CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इनमें से कुछ बच्चे 14 से 18 वर्ष के मध्य थे जिन्हे NCPCR के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CWC के समक्ष कथनों के आधार पर माता पिता को प्रथम चेतावनी एवं शपथ पत्र लिया जाकर छो□ा गया ।

गतिविधियाँ

गतिविधियाँ

इकाई द्वारा समय समय पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से शहर मे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया ।

गतिविधियाँ

इकाई द्वारा लगातार शहर के विभिन्न स्कूल कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले स्थानो पर जागरूकता कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ।

गतिविधियाँ

SJPU इकाई एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों मे लगातार भ्रमण एवं पोस्टर स्टिकर आदि के माध्यम से प्रचार भी किया जा रहा है व माइक्रो बिट सिस्टम के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास भी किया जा रहा है ।

गतिविधियाँ

इकाई द्वारा शहर के कामकाजी एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों मे जाकर बाल श्रम के विरूद्ध प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ।

गतिविधियाँ

- वर्ष 2023 में जरूरतमंद व देखरेख वाले एवं विधि विवादित **78 बच्चों** की सुरक्षा की जाकर उन्हें CWC एवं JJ Board प्रस्तुत कर सुरक्षा एवं सहायता की गई ।

- जिले के प्रत्येक 45 थानों पर महिला हेल्प □स्क में **चाईल□ फ्रें□ली स्पेस** के रूप में विकसित किया गया हैं प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं जो थाने पर आने वाले बच्चों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करते हैं ।

- बालकों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु जिले में बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, जे.जे.बो□, विशेष किशोर पुलिस इकाई, थानो के समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला विधिक प्राधिकरण के सदस्य कार्यरत हैं तथा बालकों की देखरेख हेतु निजी एवं शासकीय 12 संस्थाएं हैं । जहां CWC के आदेश से बालकों को जरूरत के हिसाब से रखा जाता हैं पाक्सो एक्ट के धारा 3 के अंतर्गत विशेषज्ञ 10 जिनकी समय समय पर सहायता ली जाती हैं ।

लिस मुख्यालय द्वारा समय- समय पर बच्चो के लिये चलाये जाने वाले विशेष अभियान-

- 01. महिला जागरूकता अभियान " सम्मान " ।
- 02. "आपरेशन एहसास " – गु टच, बै टच हेतु जागरूकता।
- 03. आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण " आँपरेशन स्वयंसिद्धा " ।
- 04. जनजागरूकता अभियान " चेतना " – मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु ।
- 05. " आँपरेशन मुस्कान " – अपहृत बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु ।
- 06. "अभिमन्यु" अभियान – ल कों में नारी का सम्मान, रक्षा, उनके अधिकारों आदि के प्रति जागरूकता लाना एवं समाज में प्रचलित कुरीतियों से खुदको दूर रखना।

थानों में संचालित बाल मित्र कक्ष

धन्यवाद
507276910